संख्या-25/2015/1106/क0नि0प्र0/26-3-15-11(99)/92 टीसी

प्रेषक,

सुनील कुमार

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,

महानगर,लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊ: दिनांक: 10 सितम्बर,2015

समाज कल्याण विभाग

विषय:- गरीबी रेखा की आय-सीमा का पुर्ननिर्धारण किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निगम के पत्र संख्या-1100/योजना अनु0/2015-16 दिनांक 19 अगस्त,2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान में उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में राज्य योजना आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा गरीबी रेखा की वार्षिक आय-सीमा शहरी क्षेत्र में रू0 25,546/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19,884/- प्रति परिवार निर्धारित है।

3- उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-17020/04/2013-एससीडी-IV दिनांक 17 अगस्त,2015 के साथ संलग्न योजना आयोग, भारत सरकार के पत्र संख्या-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एम-11099/3/2010-पीपी दिनांक 26-08-2013 द्वारा जारी गरीबी अनुमान 2011-12 के संलग्न सारिणी संख्या-1 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के लिये गरीबी रेखा की आय-सीमा प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रू0 768.00 तथा शहरी क्षेत्र में रू0 941.00 मासिक आय के आधार पर 05 व्यक्तियों के परिवार हेतु गरीबी रेखा की आय-सीमा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/- तथा शहरी क्षेत्र में रू0 56,460/- वार्षिक आय संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा निगम के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित योजनाओं में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने के दृष्टिकोण से आय-सीमा हेतु कटआफ निर्धारित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/- तथा शहरी क्षेत्र में रू0 56,460/- प्रति परिवार वार्षिक आय निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तद्दनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-25/2015/1106/क0नि0प्र0/26-3-15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार,उ0प्र0,इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- निदेशक,समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उत्तर प्रदेश।

9- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

10- महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ।

11- निदेशक,संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।

12- संयुक्त निदेशक, कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, शोध विंग, उ0प्र0 शासन।

13- समाज कल्याण अनुभाग-1/2/3/बजट प्रकोष्ठ/सैनिक कल्याण अनुभाग।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।